HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3384/2026

1. Kamlesh Alias Kamal S/o Jagdishram Alias Kajod, Aged About 21 Years, R/o Village Indokha, Chitawa Police Station Chitawa, District Didwana-Kuchaman Raj. (Presently Confined In Dist. Jail Didwana-Kuchaman)
2. Manoj Kumar S/o Rakesh Kumar, Aged About 19 Years, R/o Village Indokha, Chitawa Police Station Chitawa, District Didwana-Kuchaman Raj.
   (Presently Confined In Dist. Jail Didwana - Kuchaman)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Komal D/o Mannaram, aged about 16 years 5 months, R/o Village Indokha, Police Station Chitawa District Didwana-Kuchaman Raj.
   (Minor Through Natural Guardian Mother Pusi Devi W/o Late Mannaram Resident Of Ladadiya Presently Residing At Indokha, Dist. Didwana-Kuchaman)

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3385/2026

Surendra Meghwal S/o Ratanlal, Aged About 18 Years, R/o Ghat Ki Dhani, Chitawa, Police Station Chitawa, District Didwana-Kuchaman.
(Presently Confiend In Dist. Jail Didwana-Kuchman)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Komal S/o Mannaram, aged about 16 years 5 months, R/o Village Indokha, Police Station Chitawa District Didwana-Kuchaman Raj.
   (Minor Through Natural Guardian Mother Pusi Devi W/o Late Mannaram Resident Of Ladadiya Presently Residing At Indokha, Dist. Didwana-Kuchaman)

----Respondents

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3386/2026

Suresh Gurjar S/o Tejaram, Aged About 23 Years, R/o Village Indokha, Chitawa, Police Station Chitawa, District Didwana-

Kuchaman Raj.
(Presently Confined In Dist. Jail Didwana -Kuchaman)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Komal D/o Mannaram, aged about 16 years 5 months, R/o Village Indokha, Police Station Chitawa District Didwana-Kuchaman Raj.
(Minor Through Natural Guardian Mother Pusi Devi W/o Late Mannaram Resident Of Ladadiya Presently Residing At Indokha, Dist. Didwana-Kuchaman)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Jogendar Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP Mr. Rajendra Katariya Mr. Bhawani Singh Ransi

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक–पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मारोठ, जिला डीडवाना–कुचामन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 133/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 70(2), 64(1), 351(2), 308(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4, 5(जी)/6, 11/12, 16/17 पॉक्सो एक्ट व धारा 67बी आई.टी. एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुए हैं।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्रों पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में विचारण के दौरान पीड़िता बतौर पी.डब्ल्यू.01 परीक्षित हुई है और केवल अशोक और विनोद द्वारा स्वयं के साथ गलत काम करना व अन्य लोगों के नाम पुलिस में अशोक व विनोद के दबाव में आकर लिखाना बताया है और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश उर्फ कमल, मनोज कुमार, सुरेन्द्र कुमार व सुरेश द्वारा स्वयं के साथ कभी कोई घटना कारित नहीं करना और गलत काम नहीं करना व अश्लील वीडियो नहीं बनाने बाबत अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से बताया है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई, जिसमें भी

पुलिस बयान के हिस्सों को लिखाने से इनकार किया है और विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में भी स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई बलात्कार नहीं करना और न ही अश्लील वीडियो बनाना और अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल नहीं करना बताया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्रों का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने पर अनापत्ति जाहिर की है।

6. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता के न्यायालय में बतौर पी.डब्ल्यू.01 हुए बयान का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये जाना स्पष्ट होता है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

7. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. कमलेश उर्फ कमल पुत्र जगदीशराम उर्फ कजोड, 02. मनोज कुमार पुत्र राकेश कुमार, 03. सुरेन्द्र मेघवाल पुत्र रतनलाल, 04. सुरेश गुर्जर पुत्र तेजाराम,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

30-31-32-GauravG/-